न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 471/2017 एवं 606/2017

रिछपाल पुत्र श्री घासी, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

–अपीलान्ट–

बनाम

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री कृष्ण, जाति बागड़ा
2. श्रीमती संध्या बागड़ा पत्नी राजकुमार बागड़ा
3. श्रीमती विजयलक्ष्मी बागडा पत्नी विजय कुमार, समस्त जातियान महाजन, निवासी 10/14 विद्याद्यर नगर, जयपुर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील महोदय चौंमू जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक महोदय चौंमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री मुकेश शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री विजय कुमार शर्मा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01–01–2018

1– उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2017 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.07.2017 उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर बउनवानी सुशीला देवी बनाम रिछपाल प्रकरण संख्या 95/2015 प्रस्तुत की गई है। एक ही प्रकरण में पारित होने से न्याय सुगमता की दृष्टि से इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मारीजा बी पटवार हल्का मोरीजा की, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र चौंमू तहसील चौंमू जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 107 के हाल खसरा नम्बर 2011 रकबा 0.01 हैक्टै0, खसरा नम्बर 2012 रकबा 0.04 हैक्टै0, खसरा नम्बर 2013 रकबा 2.78 हैक्टै0, खसरा नम्बर 2014 रकबा 0.02 हैक्टै0 खसरा नम्बर 2015 रकबा 0.03 हैक्टै0, खसरा नम्बर 2016 रकबा 0.05 हैक्टै0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.93 हैक्टै0 भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण (वादीगण रेस्पोडेंट 1 ल0 3) का हिस्सा 2/3 भाग व 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या 1 (हाल अपीलान्ट) का है एवं उक्त विवादग्रस्त भूमि का कानूनन विभाजन नहीं हो रहा है जिसका कानून विभाजन किया जावे। प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि के बाबत् सन 1984 से विवादग्रस्त चली आ रही है। जिसमें हाल में अनेक वाद विचाराधीन है जिसमें वाद संख्या 137/2002 भूरी बनाम गोपाल विचाराधीन है जो दावा घोषणा दुस्रूती इन्द्राज का है जिसमें वादीगण को प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 पर पक्षकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.07.2017 नियत है। एवं दूसरा वाद संख्या 259/2005 उनवान रिछपाल बनाम गोपाल है। जो विचाराधीन है जिसमें वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के रूप में पक्षकार है। जिस वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.07.2017 नियत है एवं उक्त आराजियात के बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पीटिसन विचाराधीन है। जो राधेश्याम व गोपाल के विरूद्ध है व वादीगण का न तो कब्जा है एवं पूर्ववर्ती वाद

उक्त आराजियात के बाबत् समान पक्षकार के मध्य विचाराधीन है। तो नया वाद चलने योग्य नहीं है व वादीगण ने जो नुमाईशी विक्रय पत्र दौराने वाद करवाया है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र धारा 151 के आधार पर ही विधि विरूद्ध वादीगण का वाद डिक्री कर दिया व दिनांक 21.07.1995 की डिक्री के आधार पर कुर्रेजात रिर्पोट मंगवाये जाने के आदेश जरिये अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.06.2017 पारित कर दिये गये एवं दिनांक 06.07.2017 को प्रकरण में अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई जिसके विरूद्ध उक्त दोनो अपीलें प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू दिनांक 10.06.2017 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की प्रक्रिया को नजरअन्दाज करते हुए मनमाने तौर पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही, अनुचित, अवैध तथा परवर्स निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के आधार पर वादी का वाद विधि के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर व बिना तनकियात कायम किये निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है क्योंकि जब पत्रावली पर यह स्पष्ट हो गया था कि उक्त आराजियात बाबत् पूर्व से ही वाद समान पक्षकारों के मध्य व समान आराजियात को लेकर विचाराधीन है तो कानूनन नया वाद में निर्णय पारित न करके अन्य वाद के साथ कन्सोलिडेट करते हुए निर्णय करना चाहिए था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के विरूद्ध पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अन्य वादों की पत्रावली की प्रति पेश करने पर एवं धारा 10 सी.पी.सी. को प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त वाद में कानून का प्रश्न अन्तर्निहित होने से न्यायालय को तनकी कायम करते हुए निर्णय करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र पर उक्त वाद में निर्णय पारित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध व क्षेत्राधिकार के विपरीत पारित निर्णय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दू पर गौर नहीं किया कि वादीगण द्वारा अपने दावा में किसी डिक्री के आधार पर वाद का निर्णय किया जाने की दुआ नहीं की है। उक्त पत्रावली दिनांक 29.04.2016 को वास्ते तनकियात विचाराधीन थी जिसमें बिना तनकी कायम किये मात्र वादी के प्रार्थना पत्र 151 पर ही वाद का निस्तारण करते हुए दिनांक 10.06.2017 का विधि विरूद्ध आदेश पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से साफ हाजिर है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त नहीं है। बिना कब्जे के तकास्मा का वाद लाया नहीं जा सकता है, उक्त बिन्दू को न समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के आधार पर जाकर निर्णय व डिक्री जारी की है। जिसमें दिनांक 21.07.1995 की डिक्री का हवाला देते हुए निर्णय किया है जबकि उक्त डिक्री की पालना कराने की मियाद 12 साल होती है। उक्त डिक्री की पालना नही करवाई गई है और उक्त डिक्री को पारित हुए करीब 22 साल हो गये जो डिक्री स्वतः ही एक कागज मात्र है जिसके आधार पर 22 साल बाद कानूनन निर्णय नहीं किया जा सकता है। उक्त बिन्दु को बिना देखे व रेस्पोडेंट को अनुचित लाभ पहुंचाने की गर्ज से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। विधि का सिद्धान्त है कि कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में मौके पर जाकर तैयार करनी चाहिए मगर प्रतिवादी पक्षकार को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के लिए न तो सूचना दी और न ही नोटिस जारी किये इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि के नियम 18 से 21 की पालना न करते हुए उक्त नियमों के विरूद्ध पारित की है। विधि का सिद्धान्त है कि कुर्रेजात रिपोर्ट पेश होने पर पक्षकारों को आपत्ति पेश करने का समुचित अवसर (कुर्रेजात की नकल लेने व आपत्ति प्रार्थना पत्र तैयार करने का समय) दिया जाना चाहिए था। जिसके बाबत् प्रतिवादी अधिवक्ता ने मात्र 7 दिवस का समय मांगा था जो न देकर प्रत्येक दिन की तारीख पेशी दी गई (कुर्रेजात पेश दिनांक

04.07.2017 से तारीख पेशी 05.07.2017 व 06.07.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की) जिससे प्रतिवादी अधिवक्ता नकल न ले सके एवं मात्र दो दिवस में ही प्रतिवादी की आपत्ति न लेकर अपीलाधीन आदेश व अन्तिम डिक्री जारी कर दी जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट में रेस्पोडेंटगण को उक्त भूमि में से जो हिस्सा दर्शाया गया है उस हिस्से पर अपीलान्ट मय परिवार के साथ पुख्ता मकान बनाकर सन् 1988 से निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा कथन किया गया है कि वे अपने हिस्से में पुख्ता मकान व छान छप्पर आदि बनाकर निवास करते आ रहे हैं जबकि कब्जे बाबत् तहसीलदार चौंमू की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण का कब्जा नहीं है एवं वादीगण द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें स्वयं वादीगण का कथन है कि विक्रय के समय कब्जा हमें नहीं दिया गया। उक्त बिन्दु पर तनकी बननी चाहिए थी जो न बनाकर उक्त प्रकरण को शीघ्र अतिशीघ्र रफा दफा करते हुए वादीगण को अनचित लाभ पहुचाने की गर्ज से पीठासीन अधिकारी ने विधि के सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा ट्रांसफर प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त पत्रावली को ट्रांसफर करने के लिए श्रीमान कलक्टर महोदय जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जिसकी तहरीर बना दी गई लेकिन जिलाधीश महोदय सी.एम. हाउस में मींटिग में होने के कारण हस्ताक्षर तहरीर पर नहीं हुए है। हस्ताक्षर होते ही पेश कर दुंगा। उक्त कथन को नजरअन्दाज कर उसी दिन सायंकाल अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2017 व अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.07.2017 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रस्तुत कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दिनांक 12.02.2016 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.3.2016 को अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस दिये पुनस्थापित कर दिया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित अन्य वाद भूरी बनाम गोपाल व रिछपाल बनाम गोपाल सन 2005 से विचाराधीन चल रहे हैं। जिनका निस्तारण भी प्रस्तुत वाद के साथ किया जाना आवश्यक है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी कायम किये जाने हेतु लम्बित थी। रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रकरण का निस्तारण सन 1995 में पारित डिक्री के आधार पर कर दिया जावे। उक्त डिक्री को 12 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया था तथा वादीगण द्वारा अपने वाद में उक्त डिक्री का कोई वर्णन नहीं किया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आशय की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 3 उक्त डिक्री से संबंधित वाद में पक्षकार भी नहीं थे तथा डिक्री मियाद बाहर भी हो चुकी थी। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री अवैध रूप से जारी कर दी गई प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की गई तथा न ही अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई वादियां नम्बर 1 व 2/रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि उनका वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

04.07.2017 से तारीख पेशी 05.07.2017 व 06.07.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की) जिससे प्रतिवादी अधिवक्ता नकल न ले सके एवं मात्र दो दिवस में ही प्रतिवादी की आपत्ति न लेकर अपीलाधीन आदेश व अन्तिम डिक्री जारी कर दी जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट में रेस्पोडेंटगण को उक्त भूमि में से जो हिस्सा दर्शाया गया है उस हिस्से पर अपीलान्ट मय परिवार के साथ पुख्ता मकान बनाकर सन् 1988 से निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा कथन किया गया है कि वे अपने हिस्से में पुख्ता मकान व छान छप्पर आदि बनाकर निवास करते आ रहे हैं जबकि कब्जे बाबत् तहसीलदार चौंमू की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण का कब्जा नहीं है एवं वादीगण द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें स्वयं वादीगण का कथन है कि विक्रय के समय कब्जा हमें नहीं दिया गया। उक्त बिन्दु पर तनकी बननी चाहिए थी जो न बनाकर उक्त प्रकरण को शीघ्र अतिशीघ्र रफा दफा करते हुए वादीगण को अनचित लाभ पहुचाने की गर्ज से पीठासीन अधिकारी ने विधि के सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा ट्रांसफर प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त पत्रावली को ट्रांसफर करने के लिए श्रीमान कलक्टर महोदय जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जिसकी तहरीर बना दी गई लेकिन जिलाधीश महोदय सी.एम. हाउस में मींटिग में होने के कारण हस्ताक्षर तहरीर पर नहीं हुए है। हस्ताक्षर होते ही पेश कर दुंगा। उक्त कथन को नजरअन्दाज कर उसी दिन सायंकाल अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2017 व अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.07.2017 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रस्तुत कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दिनांक 12.02.2016 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.3.2016 को अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस दिये पुनस्थापित कर दिया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित अन्य वाद भूरी बनाम गोपाल व रिछपाल बनाम गोपाल सन 2005 से विचाराधीन चल रहे हैं। जिनका निस्तारण भी प्रस्तुत वाद के साथ किया जाना आवश्यक है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी कायम किये जाने हेतु लम्बित थी। रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रकरण का निस्तारण सन 1995 में पारित डिक्री के आधार पर कर दिया जावे। उक्त डिक्री को 12 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया था तथा वादीगण द्वारा अपने वाद में उक्त डिक्री का कोई वर्णन नहीं किया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आशय की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 3 उक्त डिक्री से संबंधित वाद में पक्षकार भी नहीं थे तथा डिक्री मियाद बाहर भी हो चुकी थी। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री अवैध रूप से जारी कर दी गई प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की गई तथा न ही अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई वादियां नम्बर 1 व 2/रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि उनका वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि दौराने दावा क्रय की गई है तथा क्रय करने के पश्चात् कब्जा हस्तान्तरण नहीं हुआ है फिर

भी कब्जे के अभाव में अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। विभाजन में रेस्पोडेंट को जो भूमि दी गई है उस पर अपीलान्ट के आवास बने हुए है। अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री तथ्यों एवं विधि के विपरीत पारित की गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. टी. 2013 (2) 1078, आर.आर.टी. 2015 (2) 1283, आर.आर.टी. 2015 (1) 494, आर.आर.टी. 2012 (2) 1077, आर.आर.टी. 2009 (2) 841, आर.आर.टी. 2014 (2) 839, आर.आर.टी. 2011–12 (सप्लीमेन्टरी) 698 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाने एवं अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.06.2017 व निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.07.2017 निरस्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन उनका था। दिनांक 20.02.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 29.05.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1995 की डिक्री प्राथमिक डिक्री थी तथा जिसकी मियाद खत्म नहीं हुई थी। उक्त डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 33/2008 प्रस्तुत की गई थी जो खारिज हो गई थी तथा उक्त डिक्री बहाल रही थी। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 अपीलान्ट के वाद को रोकता है न कि वादीगण रेस्पोडेंट के वाद को। न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनने का पर्याप्त अवसर अपीलान्ट को दिया गया है तथा सरस–नरस के आधार पर विभाजन के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्ट की अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं है तथा उसे खारिज फरमाया जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2016 को पत्रावली वास्ते तनकियात विचाारधीन थी जो दिनांक 09.03.2017 तक चलती रही है। दिनांक 09.03.2017 को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2017 को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा पत्रावली जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई। दिनांक 27.05.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी.पी.सी. पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी जाकर अधिवक्ता प्रतिवादी को बहस हेतु समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29.05.2017 को नियत की गई। दिनांक 29.05.2017 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया तथा दोनों पक्षों को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी पर प्रस्तुत जवाब को ही बहस माना जाने का अनुरोध करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्रों पर आदेश हेतु दिनांक 10.6.2017 नियत की गई। दिनांक 10.06.2017 को प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी खारिज किया गया तथा वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रकरण को पूर्ववर्ती प्रकरण राधेश्याम बनाम गोपाल व अन्य में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। उक्त निर्णय में तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया गया कि उनवानी प्रकरण राधेश्याम बनाम गोपाल व अन्य में पारित डिक्री के अनुसार बनाये गये कुर्रेजात को प्राथमिकता देते हुए प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करावे। तत्पश्चात दिनांक 15.06.2017 को प्रार्थी प्रतिवादी की ओर प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्त किये जाने हेतु मौका कमिश्नर प्रस्तुत किया गया जिस पर 17.06.2017 को बहस सुनी जाकर वास्तविक निर्णय पत्रावली दिनांक 04.07.2017 को नियत की गई। दिनांक 04.07.2017 को प्रार्थी प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा तहसीलदार चौंमू द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया जिस पर पत्रावली दिनांक 05.07.2017 को नियत की गई है एवं उक्त दिवस को पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं होने से पत्रावली दिनांक 06.07.2017 को पेशी पर ली गई। दिनांक 06.07.2017 को प्रतिवादी को कुर्रेजात

रिपोर्ट की नकल दिलवाई गई तथा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सात दिवस का समय चाहा गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 06.07.2017 में उल्लेख किया है कि "प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके अधिवक्ता को निर्देश के साथ समय दिये जाने के बावजूद नकल बाबत् प्रार्थना पत्र ही दो दिन के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 येन–केन–प्रकारेण दावे को विलम्बित करना चाहते हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी का निवेदन खारिज किया जाकर बहस कुर्रेजात सुनी गई। वादीगण का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि दिनांक 13.05.2015 को वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.07.2015 को जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित घोषणा व निषेधाज्ञा के अन्य वाद रिछपाल बनाम गोपाल व भूरी बनाम गोपाल विचाराधीन है तथा वादग्रस्त भूमि सन 1984 से ही विवादित है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण द्वारा अपना नाम राजस्व रिर्कार्ड में दर्ज करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली में तनकी निर्माण हेतु नियत किया हुआ था जो दिनांक 29.04.2016 से दिनांक 09.03.2017 तक तनकी कायमी हेतु लम्बित रहा। दिनांक 20.02.2017 को वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पूर्व उनवानी प्रकरण राधेश्याम बनाम गोपाल व अन्य में पारित निर्णय की अनुपालना में प्रकरण का निस्तारण किये जाने प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया कि विवादित भूमि बाबत् पूर्व में विचाराधीन वाद संख्या 90/91 में न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू द्वारा दिनांक 21.07.1995 को डिक्री जारी कर दी गई है तथा उसकी अनुपालना नहीं हो पाई। प्रार्थीगण वादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त पूर्ववर्ती प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगण/वादीगण को ना होने के कारण उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त डिक्री दिनांक 21.07.1995 की अपील भी दिनांक 24.08.2011 को खारिज हो चुकी है इसलिए पूर्ववर्ती डिक्री के आधार पर प्रस्तुत वाद में तकास्मा किये जाने का अनुरोध प्रार्थीगण द्वारा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अपील संख्या 33/2008 की आदेशिकाओं की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अपील में प्रार्थीगण वादीगण द्वारा पक्षकार संयोजित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें बतौर पक्षकार 2000/– रूपये की कोस्ट पर संयोजित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण को पूर्ववर्ती डिक्री दिनांक 21.07.1995 जिसके संबंध में अपील संख्या 33/2008 विचाराधीन रही है, की बखूबी जानकारी रही है। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. में यह कथन किया जाना कि उन्हें पूर्ववर्ती प्रकरण की जानकारी नहीं होने के कारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत कर दिया गया है स्पष्ट तौर पर असत्य कथन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असत्य कथन के आधार पर पेश किया गया था तथा वे "क्लीन हैण्ड" से न्यायालय के समक्ष नहीं आये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का एवं वास्तविक तथ्यों का अवलोकन व जांच किये बगैर वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। वादीगण द्वारा सन् 2015 में विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है इससे यह स्पष्ट है कि डिक्री दिनांक 21.07.1995 की क्रियान्विति नहीं हुई है तथा वादग्रस्त भूमि मौके पर संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। वादीगण द्वारा उक्त डिक्री के निष्पादन संबंधी कोई कार्यवाही नहीं कर नवीन वाद बाबत् विभाजन प्रस्तुत किया गया है तथा बाद में उक्त डिक्री की जानकारी न होने का मिथ्या कथन करते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है कि डिक्री दिनांक 21.07.1995 अन्तिम डिक्री थी जिसके आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में डिक्री

दिनांक 21.07.1995 निष्पादन के अभाव में निष्प्रभावी हो चुकी थी। वादीगण द्वारा मिथ्या कथनो के आधार पर तथा न्यायालय को गुमराह कर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करवाई गई है जो कि बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। जहां तक अन्तिम डिक्री का प्रश्न है प्राथमिक डिक्री में विधिक त्रुटि होने के कारण उसकी पालना में पारित की गई अन्तिम डिक्री भी निरस्त योग्य है। यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें अंकन किया गया है कि मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। डिक्री के संलग्न नक्शा अनुसार ही कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। प्रस्तावों के साथ जो नक्शा संलग्न किया गया है उससे स्पष्ट है कि वादीगण का कब्जा नहीं होने के बावजूद भी उन्हें समस्त भूमि मुख्य सडक पर दी गई है तथा अपीलान्ट को समस्त भूमि पीछे की ओर दी गई है। इस प्रकार प्रकरण में सरस–नरस का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। प्रकरण से संबंधित आदेशिकाओं का जो वर्णन ऊपर अंकित किया गया है उससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को कुर्रेजात प्रस्तावों पर आपत्ति प्रस्तुत करने का भी समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में अनावश्यक जल्दबाजी दर्शाई गयी हैं जो न्यायोचित नहीं है। वादग्रस्त भूमि से संबंधित अन्य वाद विचाराधीन होने का कथन अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया गया था परन्तु उसके संबंध में भी कोई विवेकपूर्ण निर्णय पारित नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवेचन से प्रकरण में पारित की गई अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

8– अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10–06–2017 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06–07–2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार तनकियात निर्मित की जाकर तथा उभय पक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों के साथ सलंग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 01–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर